UPJB010035282026

न्यायालय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश कक्ष सं0–03 , जिला अमरोहा ।

प्रथम जमानत प्रार्थना पत्र संख्या–916/2026

अमान पुत्र उस्मान , निवासी मौहल्ला लकड़ों की चुंगी अमरोहा , थाना अमरोहा नगर, जिला अमरोहा ।

....प्रार्थी/अभियुक्त।

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य .....अभियोजक।

मुकदमा अपराध संख्या–84/2026
धारा–**351(2) व 69 बी.एन.एस.**
थाना–रजबपुर , जिला अमरोहा।

आदेश

दिनांकः 05.06.2026

उपरोक्त प्रकरण में अभिरक्षा में निरूद्ध प्रार्थी/अभियुक्त **अमान** की ओर से जमानत हेतु उपरोक्त प्रथम जमानत प्रार्थनापत्र मय शपथपत्र प्रस्तुत किया गया है।

2. संक्षेप में अभियोजन कथानक इस प्रकार है कि वादिनी मुकदमा **सकीना** द्वारा संबंधित थाने पर प्रथम सूचना रिपोर्ट इस अभिकथन के साथ दर्ज करायी गयी कि प्रार्थिनी की अब से 09 माह पहले सुभानजली होटल में अमान पुत्र उस्मान निवासी मौहल्ला लकड़ों की चुंगी, अमरोहा, मो0 नं0 8869878008 से मुलाकात हो गयी और इस अमान ने प्रार्थिनी को चिकनी–चुपड़ी बातों में लेकर शादी का झांसा देकर सुभानजली होटल, अतरासी के पास, दिनांक 04.01.2026 को समय करीब 02:00 बजे दिन में कमरा बुक करके देर रात्रि तक कई बार शारीरिक सम्बन्ध बनाये तथा इसके बाद भी करीब पिछले 09 माह में कई बार अमान उपरोक्त द्वारा प्रार्थिनी का बलात्कार किया गया। प्रार्थिनी ने जब अमान पुत्र उस्मान से शादी की बात की तो यह अमान प्रार्थिनी को धमकी देने लगा और कहने लगा कि अगर तूने शादी का दबाव बनाया तो तुझे जान से मार दूंगा। प्रार्थिनी ने एक प्रार्थना पत्र दिनांक 06.02.2026 को उच्चाधिकारियों के समक्ष दिया था, जिस पर अमान व इसके पिता उस्मान ने प्रार्थिनी को धमकाना आरम्भ कर दिया तथा थाना अमरोहा नगर में अमान व उसके पिता उस्मान, माता नाजलम उपस्थित हुए और प्रार्थिनी से समझौता कर लिया। उसके बाद थाना रजबपुर पर भी अमान ने प्रार्थिनी से समझौता कर लिया और समझौते में ईद के बाद दिनांक 26.03.2026 को कोर्ट मैरिज करने को कहा। इसके बाद प्रार्थिनी ने अमान से शादी के लिये कहा और उसके घर वालों से सम्पर्क किया तो इन्होंने प्रार्थिनी का मोबाइल नम्बर ब्लॉक लिस्ट में डाल दिया और धमकी दी कि शादी की बात की तो जान से जायेगी। प्रार्थिनी को अब अन्देशा हो गया है कि अमान व उसका पिता उस्मान व माता प्रार्थिनी के साथ कोई बड़ा अपराध कर सकते हैं। प्रार्थिनी बहुत परेशान है।

3. प्रार्थी/अभियुक्त का कहना है कि उसे रंजिशन झूठा फंसाया गया है। उसने कोई अपराध कारित नहीं किया है। प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराने में करीब चार माह सात दिन का विलम्ब है। वादिनी उस पर शादी का दबाव बना रही थी, मना करने पर दस लाख रूपये की

Digitally signed by SANJAY CHAUDHARY
Date: 2026.06.05 15:26:44 PKT
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court

मांग की, पैसे देने से इंकार करने पर झूठा मुकदमा लिखा दिया। उसका आपराधिक इतिहास नहीं है। जमानत की शर्तों का प्रार्थी पालन करेगा , इसलिए जमानत की याचना की गयी है।

4. अभियोजन/वादी की ओर से विरोध करते हुए कहा गया कि गंभीर प्रकृति का अपराध है। जमानत प्रार्थनापत्र खारिज किये जाने योग्य है।

5. इस जमानत प्रार्थना पत्र के निस्तारण हेतु निम्नलिखित बिन्दु विचारणीय हैः–

1. प्रवंचनापूर्ण उपायों का उपयोग करके सम्पर्क बनाने का 10 वर्ष तक से दण्डनीय प्रकृति का आरोप है।

2. कथित पीड़िता द्वारा धारा 180/183 बी.एन.एस.एस. के अन्तर्गत दिये बयानों में शादी का विश्वास पैदा करके अवैध सम्बन्ध बनाने का बयान दिया गया है।

3. आंतरिक चिकत्सीय परीक्षण में शारीरिक सम्बन्ध की पुष्टि हो रही है।

4. मामले की विवेचना अभी चल रही है। अभियोजन के अनुसार जमानत प्राप्त करने पर विवेचना के प्रभावित होने की सम्भावना रहेगी।

6. उपरोक्त परिस्थितियों में विचार करने के उपरान्त विवेचना पूर्ण होने से पहले गम्भीर प्रकृति के इस मामले में अभियुक्त को जमानत प्रदान किया जाना उचित प्रतीत नहीं हो रहा है। अतः जमानत प्रार्थनापत्र **खारिज** किया जा रहा है।

दिनांक–05.06.2026

(संजय चौधरी)
अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश कक्ष सं0–03
अमरोहा।